

अभ्यक्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्राज प्राप इनको रखने से मना कर देंगे तो कल हिन्दी में ये ले आएंगे । प्राप अपनी ताकत को तो देखिये । इनको रखने से मना कर के प्राप देखें और प्राप को पता चल जाएगा कि कल को ये हिन्दी अनुवाद ले आएंगे ।

NOTIFYING UNDER CUSTOMS ACT,
CENTRAL EXCISE RULES, GUJARAT
SALES TAX ACT, ETC.

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI-
MATI SUSHILA ROHATGI): Sir,
On behalf of Shri K. R. Ganesh, I beg
to lay on the Table:

- (1) A copy of Notification No. G.S.R. 307(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 9th July, 1974, under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See No. LT-7096/74.*]
 - (2) A copy of Notification No. G.S.R. 275(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 20th June, 1974, issued under the Central Excise Rules, 1944, together with an explanatory memorandum [*Placed in Library. See No. LT-7097/74.*]
 - (3) (i) A copy of Notification No. (GHN 261) GST 1074/(S. 49)-(32)-TH published in Gujarat Government Gazette dated the 9th May, 1974 making certain amendments to Notification No. (GHN 627) GST 1070/(S. 49)—TH dated the 29th April, 1970, under sub-section
- (3) of section 49 of the Gujarat Sales Tax Act, 1969, read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.
 - (ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Notification.
 - (4) (i) A copy of the Gujarat Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1974, published in Notification No. (GHN 266) GSR-1074/(13)TH in Gujarat Government Gazette dated the 29th May, 1974, under sub-section (5) of section 86 of the Gujarat Sales Tax Act, 1969 read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.
 - (ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Notification.
 - (5) (i) A copy of the Bombay Sales of Motor Spirit Taxation (Gujarat Third Amendment) Rules, 1974, published in Notification No. (GHN—264) MSA-1074/(22)-TH in Gujarat Government Gazette dated the 21st May, 1974, under sub-section (4) of section 36 of the Bombay Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1958, read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.
 - (ii) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Hindi version of the above

Notification. [Placed in Library. See No. LT-7098/74.]

NOTIFICATIONS UNDER PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, DELIMITATION ACT, ETC.

विधि, भाषा और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौबरी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

- (1) राष्ट्रपतीय तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० 305 (ड) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT-7099/74.]

- (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचन मंचालन (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 286 (ड) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT-8000/74.]

- (3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) परिवर्द्ध निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (दम्हई) संशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 349 (ड) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) परिवर्द्ध निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 265 (ड) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library See No. LT-8001/74.]

- (4) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 14 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आं० 279 (ड) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 15, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 293 (ड) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library see No. LT-8002/74]

- (5) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 323 (ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 8 दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[Placed in Library. See No. LT-8003/74.]

- (6) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषण के अन्तर् (ग) (तीन) के साथ पठित